

## राष्ट्र विचार और जे0एन0यू0

विश्वेश कुमार मिश्र

जे0आर0एफ0 ,शोध छात्र हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

### प्रस्तावना

राष्ट्र हमारे भीतर एक स्पंदन पैदा करता है: एक गरिमा का भाव उत्पन्न करता है। भारत माता कौन सी है, जिसे हम पूजें यह सवाल आजादी की लड़ाई के दौर में जवाहर लाल नेहरू ने 'भारत माता की जय' का नारा लगाने वालों से पूछा था। बाद में सुमित्रानंदन पंत ने कविता लिखी थी, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू मिट्टी की प्रमिमा उदासिनी। इसी कविता का 'मैला आंचल' रेणु के यहाँ उपन्यास में बदल गया। कविता का तात्पर्य दरअसल देश को समझने-पहचानने की कोशिश थी। यह कविता किसी स्वार्थभाव से नहीं लिखी जा रही थी, इस गद्य के पीछे कोई उन्माद नहीं था। भारत की कविता कहीं पीछे छूट गयी है, भारत को समझ सकने वाला गद्य कहीं खो गया है। यह समझ भी बेमानी होती चली जा रही है कि राष्ट्रों की कोई जड़ मूर्ति नहीं होती है। वे हमेशा हिलते-डुलते, स्पंदित होते, और वक्त के हिसाब से बदलते संगठन होते हैं।

### जे.एन.यू में राष्ट्रविरोध की ध्वनि

जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के पांच वर्ष बाद सन् 1969 में जे0एन0यू0 की स्थापना हुई। यह देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और इसमें हुई हाल की घटनाओं से लोग चिंतित हैं। नेहरू ने तो कहा था कि यह विश्वविद्यालय मानवता के लिए है। वह सहिष्णुता, विवेक, साहसिक विचारों के लिए है। विश्वविद्यालय यदि अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन करते हैं तभी वे राष्ट्र और जनता के साथ हैं। क्या जे0एन0यू नेहरू की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है ? यह विश्वविद्यालय शुरू से ही वामपंथी बुद्धिजीवियों के गिरफ्त में आ गया क्योंकि इसे बनाने और नियुक्तियों करने का दायित्व वामपंथी-उदारवादी और मार्क्सवादी बुद्धिजीवियों को दिया गया। 1960 के दशक में विकासशील देशों में मार्क्सवाद और साम्यवाद, शिक्षा और राजनीति दोनों में विमर्श के प्रधान विषय थे। उन दिनों प्रकाश करात जे0एन0यू0 छात्रसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे। तब से आज तक यहाँ मार्क्सवाद का बोलबाला है। कुछ दिनों पहले प्रकाश करात ने प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाया कि वे विश्वविद्यालयों में वैचारिक वर्चस्व की स्थापना कर रहे हैं किन्तु शायद वे भूल रहे हैं कि यह कार्य वामपंथी विद्वानों और कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरू से ही किया है और ज्यादातर विश्वविद्यालयीय नियुक्तियों में यह सुनिश्चित किया कि केवल वामपंथी ही नियुक्त हो और छात्रों में भी वामपंथी विचारधारा को प्रोत्साहित किया जाए। बदला लेना/ किसी भी स्थापित मूल्यों, / आचारवैचारिकी में पृथक्ता रखना, / विरोध की दृष्टि हर जगह रखना यह मार्क्सवाद का मूलमंत्र है। इसका मतलब यह नहीं कि दक्षिणपंथी विचारधारा को कोई 'स्पेस' ही न दिया जाए। भारत कोई साम्यवादी देश तो नहीं। सच पूछिए तो लोकतंत्र का तकाजा है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में सभी विचारधाराओं के विद्वानों का संगम हो, जिनके वाद-प्रतिवाद किसी सार्थक संवाद को जन्म दे सकें। आज मैं देख रहा हूँ कि देश में कहीं भी जब दक्षिणपंथी या गैरपंथी विद्वानों की नियुक्ति होती है तो वामपंथी हो- हल्ला मचाते

हैं। क्या हमारे देश में केवल वामपंथी विद्वान मान्य हैं ? क्या यह वैचारिक असहिष्णुता नहीं? क्या हमारे देश में एक ही विचार है जिसे राष्ट्र विचार कहा जाए, जो वामपंथी कह रहे हैं। क्या यही सर्वज्ञानी हैं और समझदारी से परिपूर्ण है।

दूसरा मुद्दा छात्रों की स्वतंत्रता का है। छात्रों की स्वतंत्रता पर न कोई असहमति है, न कोई विवाद। वैश्वीकरण के युक्त में सांस्कृतिक परिवेश तेजी से बदल रहा है और कब छात्रों की स्वतंत्रता उनकी स्वच्छन्दता बन जाए, पता नहीं चलता। हर बिन्दु को एक बनी-बनाई समझ से ही देखना जे0एन0यू0 का बुनियादी संकट है। जे0एन0यू0 के छात्रों की बातें तथा उनके पैरोकारों की बातें सुनकर मैं चकित रह जाता हूँ। मुझे रूस में समानता स्वतंत्रता, न्याय, शांति, युद्ध आदि धारणाओं पर इस विचारधारा की दुर्गति याद आती है। जे0एन0यू0 के एक बड़े हिस्से में न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद आदि की विचित्र समझ उसे वैसा ही 'पशु बाड़ा' या मानव बाड़े सा दिखाती है जहाँ के लोगों को दुनिया का वास्तविक ज्ञान नहीं है। अफजल, याकूब मेनन, अजमल कसाब पर परिचर्चा करना उनकी शहादत पर मातम मनाना यह केवल बनी-बनाई समझ ही तो है जो राष्ट्रविरोधी है। ये जेएनयू वाले असहमति के अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। राष्ट्र में रहकर राष्ट्र विरोधी नारे लगाना, देश के तिरंगे का अपमान करना, कारगिल में शहीद हुए जवानों के परिजनों को आहत करना, पाकिस्तान जिंदाबाद कहकर यह कहना कि मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है, महिषासुर के वध पर दुखी होना और दुर्गा की निंदा करना इनके लिए उचित है ? क्या इसे अभिव्यक्ति की आजादी कह सकते हैं? संविधान का अनुच्छेद 19 (1) अभिव्यक्ति की आजादी देता है तो 19 ;2 कुछ निर्बन्धन भी लगाता है। आज यही कारण है कि पूरे देश ने यह महसूस किया है कि जे0एन 0यू0 मानो भारत में कोई अलग देश हो। हमारे सांसदों, सरकार को यह समझना चाहिए कि वे पढ़ाने के लिए जे0एन0यू0 को सर्वाधिक उदारता से धन देते हैं। वहाँ जो मानसिकता बनी है वह लम्बे समय की व्यस्थित विकृति का नतीजा है।

जे0एन0यू0 के लोग इतनी सहजता से कुछ भी कह देते हैं मानो उनकी सोच और विचार ही सब कुछ है और यही राष्ट्र विचार होना चाहिए। देश की जनता से, देशहित से, सामान्य बुद्धि से जे0एन0यू0 की प्रभावी बौद्धिकता का विलगाव ही मूल चिंता का विषय है। स्पष्टतः जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में लम्बे समय से इतिहास, राजनीति, साहित्य जैसे विषयों का राजनीतिकरण कर दिया गया है। सिलेबस, पाठ्य-सूची, गोष्ठी-सेमिनार के विषय आदि हरेक को परखा जा सकता है। यही कारण है कि देशद्रोही और आतंकवाद समर्थक शब्दों को सहज माना जाता है। यह एक वैचारिक विचित्रता है जो राष्ट्र से, राष्ट्र की जनता से पूर्णतः विलग होकर भी अपने रेडिकल मत को 'जनवाद' कहता है। यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है हमारे देश में जहाँ सामाजिक विषयों की शिक्षा नहीं, किन्तु मतवादीकरण जरूर होता रहा है। किसी मत या विचारधाराविशेष में आग्रही बनना मतवादीकरण है। भावनात्मक दोहन, अपराधबोध भरना, बार-बार निंदा करना, छिद्रान्वेषण, लज्जित करना, दोषारोपण करना, पीड़ित होने का ढोंग करना,

तथ्यों पर छल करना यही जे0एन0यू0 की परम्परा और प्रतिष्ठा का विषय रहा है।

यहाँ के छात्रों की यह समस्या है कि वे अपनी मतवादी या मूर्खतापूर्ण बातों को विशिष्ट ज्ञान समझते हैं। शिक्षा है ज्ञान, विवेक तथा प्रमाणिक जानकारी होना, न कि कोई बना बनाया निष्कर्ष या मत दोहराना, चाहे सुनने में वे कितने ही अनोखे क्यों न लगें। यह बात जे0एन0यू0 छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कौन समझाए। मतवाद प्रभावित व्यक्ति मत की समीक्षा पर राजी नहीं होता है यह जे0एन0यू0 में देखा जा रहा है। एस0 शंकर द्वारा लिखे आलेख को मैं पढ़कर प्रभावित हुआ और यह समझा कि लोगों के मन में कितनी पीड़ा है। समझना चाहिए कि पूरी शिक्षा को राष्ट्रविरोधी तथा किसी पार्टी को घोषणापत्र के रूप में बदलना कहाँ तक उचित है ? मार्क्सवाद को शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए स्वतन्त्रता का दुरुपयोग किया गया है। कन्हैया कुमार जिस विचार संस्था से है तथा जिस मत से प्रतिबद्ध है उसने भारतमाता की तथा तिरंगे के स्वाभिमान की कभी रक्षा नहीं की है। माओ ने 'सांस्कृतिक क्रान्ति' के नाम पर स्वतन्त्र विचारधारा और जनतंत्र का इसी तरह दमन किया। स्टालिन ने अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। माओ के अनुयायी केवल सत्ता पर विश्वास करते थे। वामपंथ का विकृत सामाजिक दर्शन के कारण ही हिन्दुओं को जाति के आधार पर विभाजित करने का कुप्रयास किया गया वही मुसलमानों को पोषित किया गया, जिसका परिणाम पाकिस्तान है। कम्युनिस्ट गरीब और वंचितों का हितैषी होने का दावा करते हैं किन्तु जो दशा इनके चिंतन से केरल और पश्चिम बंगाल की हुई है, जगजाहिर है। इनको गरीब से नहीं गरीबी से लगाव है ताकि अपने दुकानदारी चलाते रहें। एक शैक्षणिक संस्थान होने के बावजूद भी जे0एन0यू0 इसी विषाक्त विचारधारा का प्रयोगशाला बना हुआ है। कांग्रेस के दस वर्ष के इतिहास में दस छात्रों ने आत्महत्या की, न तो राहुल गान्धी और न ही मार्क्सवादी नेता विश्वविद्यालय जाना जरूरी समझे। भगवान राम का पुतला दहन, दुर्गा की निंदाकर पर्चे बॉटना, अफजल, याकूब मेनन का आखिर कोई कैसे समर्थन कर सकता है। किसी की जमानत पर जीत का जश्न मनाना क्या यह विचित्र नहीं लगता ? जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। इसी आधार पर जमानत सशर्त दी गयी कन्हैया कुमार को। दुर्भाग्य है कि बाहर आते ही छात्रनेता ने 'आत्मचिंतन' की जगह आक्रामकता दिखाई। 9 फरवरी के कांड के भी नेताओं का नाम लेकर उन्हें सही ठहराया। यह ध्यान देने वाली बात है कि पूरे भाषणों व पुस्तकों में केवल भारत की भिन्नता का ही जिक्र होता है। भारत में हर जगह अलगाव देखने की उनकी आदतें आगे अलगाववाद और आतंकवाद का आधार बनती हैं। इनकी इसी नई राष्ट्रप्रेमी छवि में 9 फरवरी कांड की झलक दिखाई पड़ती है।

उच्च न्यायालय का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि 9 फरवरी का जेएनयू प्रकरण देशद्रोह की बड़ी साजिश है जिसको कुचलने के लिए बड़े कदम उठाए जायेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी बेबाक टिप्पणी से जेएनयू काण्ड के विध्वंसक निहितार्थों को बेनकाब किया है जिससे यह साफ हो गया कि जेएनयू का 9 फरवरी का प्रकरण देशद्रोह है। बताते चलें कि माओवादी, इस्लामी, कट्टरपन्थी आदि लोग दसकों से जेएनयू जैसे ट्रिगर की ही तैयारी कर रहे थे जिससे भारत में व्यापक स्तर पर खून-खराबा किया जाय। ये कोशिशें भारत से आजादी तक ही नहीं बल्कि भारत की बर्बादी तक जारी रखने की हैं। न्यायालय ने साफ कहा कि यह इन्फेक्शन महामारी बन सकता है। कश्मीर में, मुम्बई में आतंकी की शवयात्रा में लोगों का शामिल होना क्या है ? इसे क्या कहेंगे, कौन सी परिभाषा करेंगे इन स्थितियों की ? या हो सकता है कि वामपन्थी लोग कहें कि मर जाने के बाद कौन सा आतंकी,

आतंकी तो तब था जब जिन्दा था। मरने के बाद मानव है, जीते जी दानव था। जिस प्रकार वेदान्त के मायावादियों को सर्वत्र माया ही दिखती है, उसी प्रकार आज के बुद्धिजीवियों को आतंकी की फॉसी में फॉसीवाद का खतरा दिखता है। यदि इसपर मैं यह कहूँ कि इन बुद्धिजीवियों के घर का कोई नहीं मारा गया होता है इसीलिए ये अपनी वैचारिकी परोसना शुरू कर देते हैं। वास्तविकता का ज्ञान इन्हें तब होता जब क्षति इनके प्रिय की होती। सियाचिन पर इतनी ठंड में जवानों के द्वारा देश की रक्षा इन्हें कभी नहीं दिखेगी। तिरंगे में लपेटकर जवानों की लाशें आती हैं, परिजन बिलखते हैं, वैधव्यता का साक्षात्कार होता है, यह सब जेएनयू के नारेबाजों को भला क्यों दिखे। वे तो सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा में अपने को उन्मुक्त पा रहे हैं, छुट्टा साड. की तरह दूसरे का खेत चर रहे हैं। ये क्या जानें राष्ट्र की मर्यादा। कौन सी आजादी अब चाहिए इन्हें, सब तो प्राप्त है। अब भारतमाता का खून पीकर संतुष्ट होंगे क्या ?? दिल्ली उच्च न्यायालय ने नई राह दिखाई है किन्तु इसपर भी हम ध्यान न दें तों भविष्य में और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ जन्म ले सकती हैं।

### सन्दर्भ सूची -

1. समाचार पत्रों के आलेख
2. आजतक, जी न्यूज, इण्डिया टी0वी, आदि
3. प्रतियोगिता दर्पण आदि से प्राप्त जानकारी
4. बलवीर पुंज द्वारा लिखित सम्पादकीय के कुछ अंश
5. सुमित्रानन्दन पन्त की कविताएं
6. मैला ऑचल - फणीश्वर नाथ रेणु
7. घटना चक्र के आलेख